

आमलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पु.क्र. 416/2024

दिनेश v/s जानकी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

16.08.2024

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र क्रमांक भू0अ0 /2024/2209 दिनांक 16.08.2024 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.08.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-

- ग्राम ईन्द्रपुरा पटवार हल्का पालडी तहसील भीलवाडा
- दिनेश. पुत्र नारायणलाल लढा साकिन आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा, खातेदार के निम्न आराजी नम्बर 982/2 रकबा 0.4282 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 983/2 रकबा 0.4157 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.8439 हैक्टेयर रहेगी।
 - श्रीमती जानकी देवी पत्नी श्री रूपलाल डाड निवासी सिरकी मोहल्ला खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-
आराजी नम्बर 981 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 982/1 रकबा 0.0270 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 983/1 रकबा 0.0269 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 984 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 985 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 987 रकबा 0.2276 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 980 रकबा 0.2150 हैक्टेयर कुल किता 07 कुल रकबा 0.9645 हैक्टेयर रहेगी।

उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद करें, निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.
प्रकरण संख्या 416/2024 दायर दिनांक 30.07.2024 निर्णय दिनांक 16.08.2024

उनवान
दिनेश पुत्र नारायण लाल लढा निवासी 2 एफ 11 श्रीनाथ गार्डन के सामने आर सी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)

— वादी

बनाम
श्रीमती जानकी देवी पत्नी श्री रूपलाल डाड निवासी सिरकी मोहल्ला, भीलवाड़ा राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

—प्रतिवादी

उपस्थित :-

1. वादी अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित।
2. विपक्षीगण उपस्थित नहीं।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या उपस्थित नहीं। प्रकरण में — इस वाद में तारीख 16.08.2024 पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम पटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :-

म ईन्द्रपुरा पटवार हल्का पालडी तहसील भीलवाड़ा

दिनेश पुत्र नारायणलाल लढा साकिन आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, खातेदार के निम्न आराजी नम्बर 982/2 रकबा 0.4282 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 983/2 रकबा 0.4157 हैक्टेयर कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.8439 हैक्टेयर रहेगी।

श्रीमती जानकी देवी पत्नी श्री रूपलाल डाड निवासी सिरकी मोहल्ला खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-

आराजी नम्बर 981 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 982/1 रकबा 0.0270 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 983/1 रकबा 0.0269 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 984 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 985 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 987 रकबा 0.2276 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 980 रकबा 0.2150 हैक्टेयर कुल कित्ता 07 कुल रकबा 0.9645 हैक्टेयर रहेगी।

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल रामद कार्यवाही करें।

Ahad
(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा